


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सीताराम बनाम तहसीलदार दांतारामगढ मु0नं0 02/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बाबूलाल गोयल) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	

2
2020



19/17

2020/00208

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

श्री अ. रा. व. क. य. कुंज
श्री अ. रा. व. क. य. कुंज
212 /
25/8/17

शीताराम उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री भोलुराम जाति जाट निवासी ग्राम
खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

अपीलांत

व नाम

तहसीलदार महोदय दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

Read
Cheta & K
18/8/17

द्वितीय अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.07.
2017 न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर
व निर्णय दिनांक 27.07.2016 तहसीलदार
महोदय दांतारामगढ प्रकरण अनुवानी सरकार
बनाम शीताराम मु.नं. 105/2016 अं0 धारा
91 ले.रे.एक्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 76 ले.रे.एक्ट.

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
खाटूश्यामजी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि गैर सायल/
अपीलांत ने विवादित आराजी खसरा नम्बर-2703 रकबा 0.36 हैक्टर में
से 0.0040 हैक्टर तन ग्राम खाटूश्यामजी में पुख्ता दीवार बनाकर
अतिक्रमण कर लिया, पटवारी हल्का ने अतिक्रमण कर पुख्ता दीवार बना
लेने की तथा निर्णय में पुख्ता मकान/दुकान बना लेने का तथ्य अंकित
किया है योग्य तहसीलदार महोदय ने पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड
का अवलोकन ही नहीं किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर योग्य
तहसीलदार महोदय ने पत्रावली मुर्तिव कर अपीलांत को नोटिस जारी
किया। जिस पर अपीलांत ने जवाब नोटिस व दस्तावेज पेश किया व
अंकित किया कि अपीलांत ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि

श्री अ. रा. व. क. य. कुंज



अ. रा. व. क. य. कुंज